भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या*166

16 दिसम्बर, 2025 के लिए प्रश्न

उचित दर दुकानों की दीर्घकालिक संचालन क्षमता

166* श्री संदोष कुमार पी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 30 सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार उचित दर की दुकानों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के कारण देश में उचित दर की दुकानें बंद हो गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में उचित दर की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"उचित दर दुकानों की दीर्घकालिक संचालन क्षमता" विषय पर दिनांक 16.12.2025 को राज्य सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 166 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): देश में उचित दर दुकानों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है।

केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विनिर्दिष्ट डिपो तक उनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्न आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकान के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, एफपीएस की कार्यप्रणाली की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

तदनुसार, टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 की धारा 9 के उपखंड (7) के तहत, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उचित दर दुकानों के मालिकों का मार्जिन निर्धारित करें और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि उचित दर दुकानों के प्रचालन की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार, उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन की वास्तविक दर निर्धारित करने या एफपीएस डीलरों को भुगतान निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत एनएफएसए के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय परिवहन और प्रबंधन तथा उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए ही सहायता प्रदान करती है। इन नियमों में व्यय के मानदंड और केंद्रीय हिस्सेदारी की पद्धति निर्धारित है। एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंड निम्नानुसार हैं:

राज्यों की श्रेणी	एफपीएस मार्जिन के संघटक	पूर्व-संशोधित मानदंड (दर रुपए प्रति क्विंटल) (दिनांक 31 मार्च, 2022 तक)	संशोधित मानदंड (दर रुपए प्रति क्विंटल) (दिनांक 1.4.2022 से प्रभावी)
सामान्य श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन एवं प्रबंधन	65	70
	एफपीएस डीलरों का मार्जिन	70	90
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21
विशेष श्रेणी के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन एवं प्रबंधन	100	105
	एफपीएस डीलरों का मार्जिन	143	180
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26

....2/-

विशेष श्रेणी के राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और सात पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं।

राज्य सरकारें वास्तविक दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिन पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

इसके अलावा, विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त डीलर मार्जिन के भुगतान को इस आवश्यकता से जोड़ दिया है कि ई-पीओएस उपकरणों को ई-धर्मकांटों के साथ एकीकृत किया जाए। यह उपाय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस एकीकरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थियों को उनके पात्र खाद्यान्न की सही मापी गई मात्रा प्राप्त हो।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 के खंड-9 के उप खंड (9) के अनुसार राज्य सरकार उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए उचित दर दुकान पर टीपीडीएस के तहत वितरित अनाजों के अतिरिक्त अन्य जिंसों की बिक्री की अनुमति देगी।

सरकार एफपीएस डीलरों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर प्रदान करके और एफपीएस में मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से लाभार्थियों के अनुभव को बेहतर बनाकर उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से एफपीएस के माध्यम से बैंकों/कॉर्पोरेट बैंकिंग संप्रेषकों के साथ साझेदारी के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक-केंद्रित सेवाएं, छोटे (5 किलो) एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री, अन्य जिन्सों/सामान्य स्टोर की वस्तुओं की बिक्री आदि पहल करने का अनुरोध किया है।

विभाग ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उन्हें आवश्यक उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन कौशल से लैस करने हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत, एनआईईएसबीयूडी (एमएसडीई के अधीन एक स्वायत्त संस्थान) ने एफपीएस डीलरों के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, ई-कॉमर्स, खुदरा प्रबंधन और बुनियादी पोषण को शामिल करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार सहित नौ राज्यों के लगभग 325 एफपीएस डीलरों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जिसके परिणामस्वरूप, हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर सहित पांच शहरों में 90 एफपीएस आउटलेट जन पोषण केंद्रों (जेपीके) में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और सामुदायिक पहुंच में सुधार हुआ है। इस विभाग ने एमएसडीई से देश भर के सभी 5.5 लाख एफपीएस डीलरों को कौशल विकास प्रदान करने के लिए ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने का भी अनुरोध किया है।

अनुबंध

दिनांक 16.12.2025 को राज्य सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 166 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार एफपीएस दुकान		
क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उचित दर दुकानें
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	435
2	आंध्र प्रदेश	29,792
3	अरुणाचल प्रदेश	1,987
4	असम	35,071
5	बिहार	51,965
6	चंडीगढ़	-
7	छतीसगढ	13,982
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	115
9	दिल्ली	1,979
10	गोवा	490
11	गुजरात	16,949
12	हरियाणा	1,094
13	हिमाचल प्रदेश	5,405
14	जम्मू एवं कश्मीर	6,645
15	झारखंड	30,849
16	कर्नाटक	21,379
17	केरल	13,805
18	लद्दाख	409
19	लक्षद्वीप	38
20	मध्य प्रदेश	26,016
21	महाराष्ट्र	59,818
22	मणिपुर	3,010
23	मेघालय	4,820
24	मिजोरम	1,264
25	नागालैंड	1,857
26	ओडिशा	13,926
27	पुद्दुचेरी	-
28	पंजाब	19,836
29	राजस्थान	27,263
30	सिक्किम	2,475
31	तमिलनाडु	34,832
32	तेलंगाना	17,264
33	त्रिपुरा	2,076
34	उत्तराखंड	9,201
35	उत्तर प्रदेश	79,216
36	पश्चिम बंगाल	20,997
	कुल	**556,260**
